राजस्थान सरकार
विशेष योग्यजन निदेशालय

जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांकः एफ11(16)( )/नि.वि.यो./2019 19561 दिनांक 13/3/19

आदेश

राजस्थान मूल के विशेष योग्यजन युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के प्रोत्साहन राशि दिये जाने, आई.आई.टी., आई.आई.एम., राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज/राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इत्यादि तथा राजस्थान सरकार के राजकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु पूर्व में निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा जारी "विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना (संशोधित) नियम–2015" दिनांक 12.06.2015 में अनुप्रति योजना के संबंध में आवेदन की प्रक्रिया को त्रुटिवश ऑनलाईन लिखा गया था जबकि विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना आजदिनांक तक ऑफलाईन ही क्रियान्वित है।

अतः विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना के लिए प्राप्त आवेदनों को **ऑफलाईन** ही स्वीकार कर नियमानुसार स्वीकृति जारी की जायें।

(वीरेन्द्र सिंह बांकावत)
निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ11(16)( )/नि.वि.यो./2019 19562-629 दिनांक 13/3/19

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर।
3. समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।

अतिरिक्त निदेशक

D:\DK\Letter.docx